

STATE OF NORTH CAROLINA  
BOARD OF REVIEW



सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह अभियोग बोर्ड ऑफ़ रिव्यू (“बोर्ड”) के समक्ष अपील रेफरी [नाम] द्वारा अपील डॉकेट संख्या \_\_\_\_\_ के तहत दिए गए (निर्णय) (खारिज करने के आदेश) पर **(दावेदार) (नियोक्ता) की अपील** पर विचार करने के लिए आया है।


N.C. Gen.Stat. §96-15(c), संगत भाग में, प्रदान करता है:

जब भी अपील रेफरी या सुनवाई अधिकारी के निर्णय के लिए अपील की जाती है; अपील करने वाले पक्ष को अपील करने के लिए कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर अपील करने का आधार बताने वाला एक स्पष्ट लिखित बयान प्रस्तुत करना होता है, और यदि समय पर बयान प्रस्तुत नहीं किया गया तो समीक्षा बोर्ड अपील को खारिज कर सकता है।

... अपील रेफरी का निर्णय डिवीजन का अंतिम निर्णय माना जाएगा, जब तक कि अधिसूचना की तारीख या निर्णय के मेलिंग के 10 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, एक लिखित अपील इस तरह के नियमों के अनुसार दायर नहीं की जाती है जैसा कि बोर्ड ऑफ़ रिव्यू और डिवीजन अपना सकते हैं।

वर्तमान मामले में, अपील रेफरी का (निर्णय) (खारिज करने का आदेश) सभी इच्छुक पक्षों को \_\_\_\_\_ तारीख को मेल किया गया था। पक्षों को (निर्णय) (आदेश) के अपील अधिकार शीर्ष के तहत पृष्ठ (पृष्ठों) पर, “आधार” आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था।

इस रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि (नियोक्ता) (दावेदार) की अपील के निम्नलिखित बयान North Carolina वाणिज्य विभाग के रोजगार सुरक्षा डिवीजन के (कार्यबल समाधान डिवीजन के स्थानीय कार्यालय) (अनुभाग) (यूनिट) द्वारा प्राप्त किया गया था।



उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या  
चार में से दूसरा पृष्ठ

बोर्ड ने निष्कर्ष दिया है कि (नियोक्ता) (दावेदार) का बयान अपील के लिए कोई स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं करता है। परिणामतः वह N.C. Gen.Stat. §96-15(c) और 04 NCAC 24C .0501 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता कि अपील के आधार के लिए एक स्पष्ट बयान दर्ज किया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि लागू अपील के अधिकारों की अवधि \_\_\_\_\_को समाप्त हो गई है (जिसमें N.C. Gen. Stat. § 96-15(c2) द्वारा अनिवार्य अतिरिक्त तीन दिन सम्मिलित हैं); और यह कि (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील North Carolina के वाणिज्य विभाग के रोजगार सुरक्षा विभाग के (कार्यबल समाधान डिवीजन के स्थानीय कार्यालय) (अनुभाग) (यूनिट) द्वारा \_\_\_\_\_ को प्राप्त की गई थी।

बोर्ड ने यह भी निर्णय दिया है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा अपील कानून द्वारा स्थापित समय अवधि के भीतर दर्ज नहीं की गई थी। इस प्रकार अपील असामयिक थी और N.C. Gen. Stat.§§96-15(c) और (c2) में निर्धारित समयबद्धता की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहने के कारण उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, (दावेदार) (नियोक्ता) ने 04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0100 में उल्लिखित समयबद्धता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए 04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(26) में परिभाषित उचित कारण नहीं दिखाया है। उचित कारण कानूनी तौर पर वह पर्याप्त कारण होता है, जो उचित तत्परता से कानून द्वारा आवश्यक कार्य करते समय विफलता के कानूनी कारण के रूप में होता है। “उचित तत्परता” का अर्थ है विशेष परिस्थितियों के तहत, एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा अपेक्षित और प्रयोग किया जानेवाले सतर्कता, एहतियात, सावधानी और अच्छे निर्णय के उपाय। N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(21)। देर से अपील की अनुमति के लिए कोई आधार नहीं दिखाया गया है। ऐसे में, (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील को N.C. Gen. Stat. §96-15(c) के समयबद्धता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(दावेदार) (नियोक्ता) की अपील **खारिज** कर दी गई है।

अपील रेफरी का (निर्णय) (खारिज करने का आदेश) **अंतिम** है।


बोर्ड ऑफ़ रिव्यू के सदस्य John Doey और Susan Doe इस अपील में सहभागी हुए और इस निर्णय से सहमत हैं।

यह

बोर्ड ऑफ़ रिव्यू

---

चेयरमैन



**नोट:** यह उच्च प्राधिकरण निर्णय मेलिंग के तीस (30) दिन बाद अंतिम हो जाएगा, जब तक न्यायिक समीक्षा की एक याचिका वरिष्ठ न्यायालय में दर्ज नहीं की जाती है, जैसा कि नीचे बताया गया है। मेलिंग की तारीख इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर है। यद्यपि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, फिर भी उच्च प्राधिकरण निर्णय को अपील करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए कृपया संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप [www.des.nc.gov](http://www.des.nc.gov) पर रोजगार सुरक्षा डिविजन की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन अनुभाग पर जा सकते हैं और अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या  
चार में से तीसरा पृष्ठ

### **न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार**


इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय का स्थान है। यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को Wake County, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए *या* North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए।

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और विभाग की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer  
Chief Counsel  
North Carolina Department of Commerce  
Division of Employment Security  
**Mailing Address:** Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903  
**Physical Address:** 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

**नोट:** यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते।



## सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि, (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली थर्ड-पार्टी कंपनी से व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी होना चाहिए, या N.C. Gen. Stat. अध्याय 84 और § 96-17(b) के तहत लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी द्वारा निरीक्षित व्यक्ति होना चाहिए। अटॉर्नी पर्यवेक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण लिखित में 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार होनी चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. अध्याय. 84 का पालन करना चाहिए।**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, पक्ष को भेजे जानेवाले सभी आवश्यक दस्तावेज या जानकारी केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी महत्त्व और प्रभाव के रूप में होगी जैसे कि उसे सीधे पक्ष में भेज दिया गया हो।

**जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार को किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों का पुनर्भुगतान करना होगा, जो कि बाद में अपील से वापस आ जाएगा N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।**

## महत्त्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या  
चार में से चौथा पृष्ठ

**दावेदारों के लिए विशेष सूचना:** यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है। यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा। यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा। कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना। आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: